न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 723/2020 तारीख रजू:– 17.07.2020
पीठासीन अधिकारी :– श्री सुरेश कुमार यादव
R.A.S.

कृष्णाबाई जी जैन आश्रम श्रीमहावीरजी जरिये मैनेजर तरूण कुमार पुत्र राधेश्याम सैनी उम्र 30 साल निवासी श्रीमहावीरजी तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राजस्थान ———————————————————————— सायला

बनाम

1. सरकार जरिये जिला कलक्टर करौली राजस्थान
2. तहसीलदार जी तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान —— गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित:– 1. श्री अशोक नीमनका एडवोकेट सायला
2. पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन

निर्णय

दिनांक :–18.02.2021

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायला ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि सायल ने माननीय न्यायालय में गैरसायलान के खिलाफ दावा बाबत् इस्तकरार हक एवं स्थायी निषेधाज्ञा पेश कर दिया है। जिसमें सायला को सफलता मिलने की पूरी आशा है।

प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 1188 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, 1189 रकबा 15 बीघा, 1184 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा, 1185 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, 1007/2 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 10 बीघा 6 बिस्वा स्थित कस्बा श्रीमहावीरजी में सायला श्री कृष्णाबाईजी जैन आश्रम श्रीमहावीरजी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात रही है।

प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि आराजीयात साबिक खसरा नम्बर वर्णित मद नं02 प्रार्थना पत्र से दौराने बन्दोबस्त नवीन खसरा नम्बर 2325 रकबा 1.07 है0, 2328 रकबा 0.94 है0, 2334 रकबा 0.28 है0, 2335

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.02.22 18:06:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी

Scanned by CamScanner

0.04 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.33 है0 स्थित कस्बा श्रीमहावीरजी तहसील हिण्डौन कायम किये जो निम्न प्रकार हैं।

साबिक खसरा नं0	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
1184 मिन 1185 1188 मिन	4 बीघा 4 बिस्वा 1 बीघा 13 बिस्वा 1 बीघा 7 बिस्वा	2325	1.07 है0
1188 मिन 1189 1184 मिन	— 15 बिस्वा —	2328	0.94 है0
1184 मिन	—	2334	0.28 है0
1184 मिन	—	2335	0.04 है0
1007/2	1 बीघा 1 बिस्वा	—	—

प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि दौराने सेटिलमेन्ट, सेटिलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों ने सायला के साबिक रकबा 10 बीघा 6 बिस्वा के स्थान पर नवीन रिकार्ड में 2.33 है0 रकबा तरमीम किया है, जो कि साबिक रिकार्ड के अनुसार 2.57 है0 रकबा होना चाहिए था लेकिन सेटिलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों ने सायला की कमजोरी को दृष्टिगत रखते हुए सायला का 0.34 है0 रकबा कम कर दिया एवं सायला की खातेदारी के साबिक खसरा नम्बर 1007/2 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा से नवीन रिकार्ड में गलत खसरा नम्बर तरमीम किया है। जबकि सायला पूर्ववत अपने साबिक रकबा 10 बीघा 6 बिस्वा के बराबर रकबे पर विगत सैंकडों सालों से काबिज एवं दखील है।

प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि सेटिलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों ने साबिक रिकार्ड से नवीन रिकार्ड तरमीम करते समय खसरा नम्बर 2329 रकबा 0.21 है0 को सायला के चक के बीच में दर्शाते हुए मिलान क्षेत्र में उसे साबिक खसरा नम्बर 1007 से बनना दर्शाया है, जो किन्ही भी परिस्थितियों में सम्भव नहीं है। जबकि उक्त खसरा नम्बर 2329 सायला के साबिक खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 1007/2 , 1184 का ही एक भाग है, इस प्रकार सेटिलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों ने सायला की खातेदारी के खेत साबिक खसरा नम्बर 1007/2 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 1184 को नवीन रिकार्ड में खसरा नम्बर 2329 रकबा 0.21 है0 सरकारी चरागाह भूमि दर्शाकर भारी भूल की है। जिसे पुनः सायला की खातेदारी में शामिल फरमाया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि सायला ने कालातंर में गरीब, विधवा व समाज से परित्यक्त महिलाओं के कल्याणार्थ उनकी सार–संभाल, देखरेख बाबत् एक ट्रस्ट की स्थापना की, जो श्री कृष्णाबाईजी मुमुक्षु श्री दिगम्बर जैन महिला आश्रम श्रीमहावीरजी के नाम से जाना जाता है। उक्त ट्रस्ट द्वारा समाज के उत्थान एवं गरीब महिलाओं को रहन आदि के लिए उक्त भूमि की

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.02.22 18:06:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी

Scanned by CamScanner

खरीद कर वृद्धाश्रम मन्दिर आदि स्थापना की गयी है। जिसे कुछ असामाजिक किस्म के लोग डण्डे के बल पर रिकार्ड की गलती का बेजा लाभ उठाकर हडपने पर आमादा है। जिसके चलते दिनांक 17.05.2020 को तहसीलदार के कार्यालय में सायला आश्रम के नाम से धारा 91 एल.आर.एक्ट का एक नोटिस बाबत् खसरा नम्बर 2329 को लेकर प्राप्त हुआ था, जिसे लेकर तहसीलदारजी से सम्पर्क करने पर सायला की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 2329 का सरकारी चरागाह रेवन्यू रिकार्ड में दर्ज होने वाले तथ्य का खुलासा हुआ है। तदोपरान्त रिकार्ड रूम से दस्तावेजात एकत्रित कर साबिक रिकार्ड का नवीन रिकार्ड से मिलन करने पर सेटिलमेन्ट विभाग की गलती का पता चल पाया है। जिसकी समस्त जानकारी सायला द्वारा गैरसायल सं02 के कार्यालय में भी उपलब्ध कराई गयी है लेकि गैरसायल सं02 असामाजिक किस्म के लोगों के दबाव में आकर रेवन्यू रिकार्ड की गलती का बेजा लाभ उठाकर सायला को खसरा नम्बर 2329 से बेदखल करने पर आमादा है। जिसकी उन्होंने दिनांक 08.07.2020 को खुले आम धमकी तक दी है।

प्रार्थना पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि अगर गैरसायलान अपने उक्त गैरकानूनी मंसूबे में कामयाब हो गये तो सायला को अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति इन टर्मस ऑफ मनी होना सभंव नहीं हो सकेगी। जबकि गैरसायलान को पाबन्द फरमाने से उन्हें कोई क्षति किसी भी प्रकार की नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं08 में दर्ज किया है कि सायला का प्राईमाफेसी केस एवं सुविधा का सन्तुलन सायला के पक्ष में बखूबी साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया है कि गैरसायलान को दौराने दावा जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि गैरसायलान आराजी खसरा नम्बर 2329 रकबा 0.21 है0 स्थित कस्बा श्रीमहावीरजी से सायला को बेदखल नहीं करें। सायला के कब्जे काश्त में कोई व्यवधान नहीं डालें। ऐसा कोई कार्य ना तो स्वंय करें ना ही किसी अन्य से करावें जिससे हकूक सायला पर प्रतिकूल प्रभाव पडे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तबल किया गया। गैरसायलान की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन उपस्थित आये तथा दिनांक 18.01.2021 को जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद सं01 इस हद तक स्वीकार है कि गैरसायलान विरूद्ध उनवानी दावा माननीय न्यायालय में विचाराधीन है अन्य तथ्य स्वीकार नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद सं02 में बाबत जमाबन्दी सं0 2037 से 40 नामान्तकरण सं0 304 से खसरा नम्बर गत 1184 रकबा 18 बिस्वा व 1185 रकबा 8 बिस्वा गै0मु0 सडक में परिवर्तित होने से खातेदारी से रकबा कम कर दिया।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.02.22 18:06:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद सं03 मुताविक मिलान क्षेत्रफल है।

जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद सं04 साबिक खसरा नम्बर 1007/2 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा का हाल खसरा नम्बर सायला की वाद भू-प्रबन्ध खातेदारी दर्ज नहीं है जबकि साबिक खसरा नम्बर भू-प्रबन्ध पूर्व दर्ज खातेदारी था। अन्य तथ्य स्वीकार नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद सं05 इस हद तक स्वीकार है कि हाल खसरा नम्बर 2329 रकबा 0.21 है0 किस्म चरनौट दर्ज है जो साबिक खसरा नम्बर 1007 मिन से बना होना मुताविक मिलान क्षेत्रफल है, जबकि साबिक खसरा नम्बर 1007/2 सायला की खातेदारी में था वह भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा हाल खसरा नम्बर 2329 रकबा 0.21 है0 से दर्शाकर नवीन बनाया है, उस पर सायला का काफी पुराना चारदीवारी किया जाकर कब्जा है।

जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद सं06 इस हद तक स्वीकार है कि न्यायालय नायब तहसीलदार श्रीमहावीरजी द्वारा 03.03.2020 को सायला को खसरा नम्बर 2329 चरागाह के सम्बन्ध में एलआर एक्ट की धारा 91 के अन्तर्गत नोटिस जारी किए गये, अन्य तथ्य लाईल्मी स्वीकार नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद सं07 स्वीकार नहीं है क्योंकि अदालत हाजा के आदेश के बाद ही एलआरएक्ट की धारा 91 के तहत कार्यवाही की जावेगी।

जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं08 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद सं08 कानूनी है।

वकील सायला ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2073 से 76 किता 2, फोटो प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल किता 3,फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2017 से 20, फोटो प्रति राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अधीन नोटिस दिनांक 13.05.2020, फोटो प्रति नकल नक्शा ट्रेस हाल नम्बरान, फोटो प्रति नकल नक्शा ट्रेस साबिक खसरा नम्बरान, पेश किये है।

सायला अधिवक्ता एवं पेरोकार सरकार उपस्थित। सायला अधिवक्ता एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। सायला अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायला का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है। जबकि पेरोकार सरकार ने जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया है।

सायला अधिवक्ता एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली व उसमें उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2073 से 76 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 2325 रकबा 1.07

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.02.22 18:06:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी

Scanned by CamScanner

है0, 2328 रकबा 0.94 है0, 2334 रकबा 0.28 है0, 2335 रकबा 0.04 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.33 है0 ग्राम अकबरपुर तहसील हिण्डौन की खातेदारी कृष्णाबाई जैन आश्रम के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2073 से 76 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 2329 रकबा 0. 21 है0 चरनोट सरकारी भूमि दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2073 से 76 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 2332 रकबा 0. 36 है0 किस्म गै0मु0सडक जिम्मन नं01 में दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक खसरा नम्बरान से दौराने सेटिलमेन्ट निम्नानुसार नवीन खसरा नम्बरान कायम किये गये हैं –

साबिक खसरा नं0	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
1184 मिन 1185 1188 मिन	4 बीघा 4 बिस्वा 1 बीघा 13 बिस्वा 1 बीघा 7 बिस्वा	2325	1.07 है0
1188 मिन 1189 1184 मिन	– 15 बिस्वा –	2328	0.94 है0
1184 मिन	–	2334	0.28 है0
1184 मिन	–	2335	0.04 है0
1007/2 1184 मिन 1185 मिन	1 बीघा 1 बिस्वा	2332	0.36 है0
1007 मिन	–	2329	0.21 है0

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2017 से 20 ग्राम अकबरपुर के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 1188 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, 1189 रकबा 15 बीघा, 1184 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा, 1185 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, 1007/2 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 10 बीघा 6 बिस्वा वाके ग्राम अकबरपुर तहसील हिण्डौन की खातेदारी कृष्णाबाई जैन निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति धारा 91 नोटिस बाबत् आराजी खसरा नम्बर 2329 चारागाह ग्राम अकबरपुर का सायला को दिनांक 13.05.2020 को जारी किया गया है।

फोटो प्रति साबिक व हाल नक्शा ट्रेस के मिलान करने से हाल खसरा नम्बर 2329 रकबा 0.21 है0 साबिक खसरा नम्बर 1007/2 व 1184 का ही भाग होना प्रतीत होता है तथा गैरसायलान के द्वारा प्रस्तुत जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि हाल खसरा नम्बर 2329 रकबा 0.21 है0 किस्म चरनौट दर्ज है जो साबिक खसरा नम्बर 1007 मिन का सीमा मुताविक मिलान क्षेत्रफल है, जबकि साबिक खसरा नम्बर 1007/2 सायला की खातेदारी में था वह

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.02.22 18:06:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी

Scanned by CamScanner

भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा हाल खसरा नम्बर 2329 रकबा 0.21 है0 से दर्शाकर नवीन बनाया है, उस पर सायला का काफी पुराना चारदीवारी किया जाकर कब्जा है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 2329 रकबा 0.21 है0 ग्राम अकबरपुर तहसील हिण्डौन पर सायला का कब्जा काश्त है तथा उसकी चारदीवारी काफी पुरानी हो रही है। सेटिलमेन्ट विभाग की गलती से उक्त भूमि को चारागाह दर्ज कर दिया है। पक्षकारान के अधिकार दावे में तय होने हैं। ऐसी स्थिति में यदि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द नहीं किया गया तो सायला को अपूर्तनीय क्षति होने की पूरी पूरी संभावना प्रतीत होती है, जबकि गैरसायलान को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने पर कोई क्षति किसी प्रकार की होना प्रतीत नहीं होता है क्योंकि उक्त भूमि पर चारदीवारी के साथ सायला का मौके पर कब्जा काश्त है। इस प्रकार सायला का प्राईमाफेसी केस एवं सुविधा का सन्तुलन भी सायला के पक्ष में बखूबी साबित होता है। ऐसे हालात में सायला का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खिलाफ गैरसायलान स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायला का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला दावा पाबन्द किया जाता है कि गैरसायलान विवादित आराजी खसरा नम्बर 2329 रकबा 0.21 है0 ग्राम अकबरपुर के हिस्से पर वृद्धाश्रम की चारदीवारी की भूमि से सायला को बेदखल नहीं करें। सायला के कब्जे काश्त में कोई व्यवधान नहीं डालें। ऐसा कोई कार्य ना तो स्वंय करें ना ही किसी अन्य से करावें जिससे हकूक सायला पर प्रतिकूल प्रभाव पडे। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18.02.21

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन, जिला करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.02.22 18:06:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner